UPMO010106882025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3 मुरादाबाद ।

फौजदारी विविध वाद संख्या–687/2025

ज्योति शर्मा बनाम दर्शित शर्मा आदि ।

दिनांकः 27.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या–3 ग दिनांकित 10.11.2025 अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या–3 ग अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम

1– आवेदिका की ओर से प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या–3 ग दिनांकित 10.11.2025 अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अवर न्यायालय श्रीमान सी0 जे0 एम 0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 का है तथा जिसमें नकल प्रतिलिपि प्राप्त आदेश में लगा समय के अलावा अपील की समय अवधि के अलावा 3 वर्ष 4 महीने का विलम्ब हुआ है जो अपीलकर्तनी ने जानबूझकर नहीं किया है तथा अपीलकर्तनी पिछले 3 साल 4 महीने से मानसिक रूप से अस्वस्थ रही है तथा विलम्ब समय को माफ फरमाने की दरकार है। अपीलकर्तनी अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का साक्ष्य साथ में प्रस्तुत कर रही है। अतः दाण्डिक अपील दायर करने में हुए विलम्ब 3 साल 4 महीने को माफ करते हुए अपील निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

2– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थिनी द्वारा यह अपील तीन वर्ष चार माह के विलम्ब से दाखिल की गयी है। प्रार्थना पत्र में तीन वर्ष चार माह के विलम्ब समय को माफ करने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ रहना बताया गया है। प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में इलाज के प्रपत्र लगाये गये हैं, उनमें प्रथम पर्चा डॉ0 एस.एन. तिवारी द्वारा प्रार्थिनी को बताये गये इलाज के सम्बन्ध में है जो कि दिनांक 13.06.2022 को प्रेसक्राइब(Prescribe) किया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 17.06.2022 को पारित किया गया है अर्थात् डॉ0 एस.एन. तिवारी के इलाज के बाद पारित किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांकित 17.06.2022 में स्पष्ट अंकित है कि वादिनी मुकदमा न्यायालय में उपस्थित है। वादिनी का सशपथ कथन है कि उसने दिनांक 29.11.2021 को मुकदमा अपराध संख्या–354/2021, धारा–376 डी, 34 भारतीय दण्ड संहिता व 328 भारतीय दण्ड संहिता में थाना पाकबड़ा में अभियुक्तगण दर्शित, जतिन अग्रवाल, गौरव गुर्जर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें समुचित जाँच के बाद विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या–02/2022 न्यायालय में लम्बित है जो उसे स्वीकार है। वह उक्त वाद को नहीं चलाना

चाहती है। वादिनी मुकदमा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कथन किया है कि दर्शित शर्मा ने उससे शादी से मना कर दिया था। वकील ने खुद से तहरीर लिखकर उससे हस्ताक्षर करा लिये थे। अब दर्शित ने उससे शादी कर ली है। वह मुकदमा वापस लेना चाहती है। वह किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। चारों अभियुक्तगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। इसके अलावा प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र के साथ जो मेडिकल प्रपत्र पंडित दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, मुरादाबाद के लगाये गये हैं, वे दिनांक 02.08.2023 से लेकर 19.02.2025 तक के हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 17.06.2022 को पारित किया गया था, उस दिन प्रार्थिनी/वादिनी न्यायालय में उपस्थित थी। न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 17.06.2022 से लेकर दिनांक 02.08.2023 के मध्य का कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र प्रार्थिनी द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। अतः यह माना जायेगा कि उक्त अन्तराल के दौरान प्रार्थिनी पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। अतः वह इस अन्तराल के दौरान जो कि अपील दाखिल किये जाने का समय था अपील दाखिल कर सकती थी। इस प्रकार अपीलकर्तनी द्वारा जो तीन वर्ष चार माह के विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया गया है, वह युक्तियुक्त नहीं है। अतः प्रार्थिनी/अपीलकर्तनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या–3ग अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अपीलकर्तनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या–3ग अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः 27.05.2026

(सुरेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–3, मुरादाबाद।